न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–144/2023

कसीदा बीबी

बनाम्

मो0 सफी आलम

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी कसीदा बीबी, पति–गफार मियां, सा0–करकट, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–79/2022–23 में दिनांक–08.09.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनो पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह पुनर्विचार याचिका मौजा–करकट के खाता संख्या–03 पलॉट संख्या–411 रकबा–0.01$\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि से संबंधित है। उक्त भमि को अपीलार्थी द्वारा भूमि मालिक सोगरा बीबी से निबंधित केवाला संख्या–1057 दिनांक–11.04.2022 के माध्यम से क्रय किया गया है। अपीलार्थी खरीदगी के समय से भूमि के

दखल-कब्जा में चली आ रहीं है। भूमि खरीदगी के उपरांत अंचल अधिकारी, लातेहार द्वारा Bihar Tenant's Holding (Maintenance of Records) Act के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन यथा कर्मचारी से जॉच प्रतिवेदन, भूमि पर दखल-कब्जा एवं निर्गत आम-इस्तेहार के विरूद्ध किसी का आपति आवेदन प्राप्त नहीं होने के पश्चात् नामान्तरण वाद संख्या-82R27/2022-23 से दिनांक-19.06.2022 को अपीलार्थी के पक्ष में भमि का नामांतरण किया गया तथा अपीलार्थी के नाम पर जमाबंदी कायम करते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया है। विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, लातेहार के नामान्तरण वाद संख्या-82R27/2022-23 के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के समक्ष दाखिल-खारिज अपील वाद-79/2022-23 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार ने तथ्यो से परे क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलार्थी के कागजात एवं दखल-कब्जा को दरकिनार करते हुए बिना निम्न न्यायालय के अभिलेख मंगाये बिना ही विपक्षी के दाखिल-खारिज अपील को स्वीकृत कर दिया गया तथा अपीलार्थी के नाम किये गये नामान्तरण एवं जमाबंदी को रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी भूमि मालिक सोगरा बीबी से निबंधित केवाला संख्या-1057 दिनांक-11.04.2022 के माध्यम से क्रय किया गया है। सोगरा बीबी को भूमि मुस्लिम कानून के मुताबिक अपने पिता की सम्पति से दोखतरी में प्राप्त है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा क्रय भूमि पर अपीलार्थी का दखल-कब्जा को दरकिनार करते हुए विपक्षी का दखल-कब्जा बताया गया है जो सरासर गलत है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा इस बात कि भी अनदेखी

की गयी कि अपीलार्थी का केवाला पहले अर्थात केवाला संख्या-1057 दिनांक-11.04.2022 एवं विपक्षी का केवाला बाद का अर्थात केवाला संख्या-1323 दिनांक-01.06.2022 का है, जो विपक्षी द्वारा जालसाजी तरीके से प्राप्त किया गया है। विपक्षी द्वारा दाखिल किये गये कारण पृच्छा के कंडिका संख्या-02 के अन्त भाग में स्वीकार किये है कि अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् विक्रेता सोबरा बीबी उर्फ सोगरा बीबी एवं उनके सभी भाई-बहन अपने पिता द्वारा छोड़ी गई सम्पति के हक-हकियत एवं दखल-कब्जा में आ गये। इसी सोबरा बीबी उर्फ सोगरा बीबी द्वारा अपीलार्थी को अपने हिस्से की भूमि-0.01$\frac{1}{2}$ एकड़ बिक्री की गयी है।

विपक्षी का आगे यह कहना कि सोगरा बीबी द्वारा अपने भाईयों के जिन्दा रहते कभी अपना हिस्सा की माँग नहीं की गई। इसलिए उनका अधिकार प्रश्नागत भूमि से खत्म हो जाता है। यह बात सरासर गलत एवं नियमसंगत नहीं है। मुस्लिम कानून द्वारा बेटियों को उत्तराधिकार से प्राप्त भूमि को उसे अपने भाईयों से माँगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक अधिकार है, जो कभी खत्म नहीं होता है। मुस्लिम कानून में प्रदत अधिकार के अनुसार अपने पिता की भूमि से प्राप्त भूमि को सोगरा बीबी द्वारा अपीलार्थी को बिक्री किया गया है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील संख्या-79/2022-23 में दिनांक-08.09.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद मौजा-करकट के खाता संख्या-03 प्लॉट संख्या-411 रकबा-0.01$\frac{1}{2}$ एकड़

भूमि से संबंधित है। मौजा-करकट के खाता संख्या-03 प्लॉट संख्या-411 रकबा-0.37 एकड़ भूमि का गत सर्वे खतियान में गनौरी मियां, जुमन मियां, वजीर मियां एवं इमामुद्दीन मियां चारो के पिता-अलीजान मियां के नाम पर दर्ज है। चारो खतियानी रैयत ने अपने जीवनकाल में भूमि का बँटवारा किये और अलग-अलग दखल-कब्जा में चले आये। प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से में $0.9\frac{1}{4}$ - $0.9\frac{1}{4}$ एकड़ भूमि प्राप्त हुआ। इमामुद्दीन मियां जीवन भर अपने हिस्से में प्राप्त भूमि के दखल-कब्जा में रहे और अपने पीछे एक मात्र पुत्र जमाल मियां को छोड़ गये। जमाल मियां अपने पिताजी द्वारा छोड़ी गई सम्पति के दखल-कब्जा में आ गये और सरकार को मालगुजारी देना प्रारम्भ कर दिया। जमाल मियां की मृत्युपरोन्त उनके पुत्र ताहीर मियां, अब्दुला मियां, माईन मियां तथा पुत्री सोबरा बीबी, सफीना बीबी, खतरोना बीबी पिता द्वारा छोड़े गये सम्पति के हकियत दखल-कब्जा में आ गये। जमाल मियां की तीनों लड़कियाँ शादी होकर अपने-अपने ससुराल चली गयी और उनके द्वारा अपने भाईयों के जीवनकाल में कभी भी हिस्सा की मांग नहीं की गयी। जमाल मियां के तीनों पुत्रो की मृत्यु 20 वर्ष पूर्व हो गई और वे लोग अपने पीछे वारिसानों को छोड़ गये। इस प्रकार मोहम्मडन लॉ के अनुसार जमाल मियां की पुत्रियों से बँटवारा कर हिस्सा माँगने का अधिकार भी समाप्त हो गया। अब्दुला मियां के मरनोपरान्त उनके पुत्र सबीर मियां, अहमद मियां एवं उनकी विधवा पत्नी सुफैदा बीबी उनके हिस्से की भूमि के हकदार हो गये। सुफैदा बीबी ने हीं रकबा-0.25 एकड़ भूमि का बिक्रय पत्र सफी आलम के पक्ष में की गई है। विपक्षी उक्त भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त कर अपना मकान भी बना

16/6

लिये है तथा दाखिल-खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी भी देते हैं। सोगरा बीबी की शादी ग्राम-नावागढ़ में हुई है और वह अपने ससुराल में रहती है। उसने बिना किसी से सलाह लिये रकबा-0.1 $\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि का निबंधित केवाला कसीदा बीबी के पक्ष में कर दिया, जो विवाद का कारण है। मौजा-करकट के खाता संख्या-03 प्लॉट संख्या-411 में कोई भूमि हीं नहीं बचा था फिर भी अंचल अधिकारी, लातेहार ने आवेदिका के मिलीभगत से दाखिल-खारिज कसीदा बीबी के नाम पर कर दिया गया, जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। विपक्षी जब पूर्व से हीं अपनी खरिदगी भूमि का दाखिल-खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी देते आ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी दूसरे के साथ दाखिल-खारिज कर देना न्यायसंगत नही है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकाश में आया।

(1) विपक्षी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर के विन्दु-2 के अनुसार जमाल मियां के मृत्यु के बाद ताहीर मियां, अब्दुला मियां, माईन मियां तथा पुत्री सोबरा बीबी, सफीना बीबी, खतरोना बीबी अपने पैतृक सम्पति के हक-हकियत एवं दखल-कब्जा में आ गए।

इस प्रकार सोगरा बीबी को अपने हिस्से की भूमि पर दखल-कब्जा था एवं उनके द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित

निबंधित केवाला संख्या-1057 दिनांक-11.04.2022 वैद्य है।

(2) प्रश्नागत भूमि से संबंधित अपीलार्थी का केवाला संख्या-1057 दिनांक-11.04.2022 एवं विपक्षी का केवाला संख्या-1323 दिनांक-01.06.2022 का है, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नागत भूमि को पहले क्रय किया गया है।

(3) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय द्वारा बिना किसी स्थलीय जाँच के गलत रूप से कहा गया है कि विपक्षी का प्रश्नागत भूमि पर कब्जा है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-79/2022-23 में दिनांक-08.09.2023 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, लातेहार एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को भेजे।

अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.06.18 17:08:27 +05:30
Location: 192.168.73.92